

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर 2016—आश्विन 4, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. डी-15-41-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) में उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष "बारह-वन उपज" की अधीन मद क्रमांक 1 में "लाख", क्रमांक 5 में "चिरोजी" तथा क्रमांक 7 में उल्लेखित "शहद" को विलोपित करती है जिसके लिये उक्त धारा 60 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रस्ताव का प्रकाशन पूर्व में किया जा चुका है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. डी-15-41-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2016

No. D-15-41-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by the Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby, deletes item I. "Lac", item V. "Chironji" and item VII. "Honey" under the heading "XII-Forests Produce" of the schedule mentioned in Section 2(1)(a) of the said Act, the proposal for same has previously been published as required by proviso of the said Section 60.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. डी-15-35-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि उपज मण्डी समिति, हरपालपुर एवं कृषि उपज मण्डी समिति, नौगांव, जिला छतरपुर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

**कृषि उपज मण्डी समिति, हरपालपुर :**

1. श्री बाबूलाल गुप्ता पिता श्री श्रीरामदयाल गुप्ता, वार्ड नं. 3, चंद्रपुरा	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि/अध्यक्ष
2. श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व. श्री वीरसिंह राजपूत, ग्राम अमा, वार्ड नं. 01	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
3. श्री धीरज सिंह पिता श्री वीरसिंह बुन्देला, मु.पो. दौरिया, वार्ड नं. 2	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
4. श्री ईश्वरदास पिता श्री बिहारी दास राजपूत, मु.पो. इमलिया	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
5. श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री श्रीपत सिंह, मु.पो. रानीपुरा	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
6. श्री लोकेन्द्र सिंह पिता श्री वीरसिंह, मु. लहदरा, पो. गलान	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
7. श्री मोहन पिता श्री प्यारेलाल अहिरवार, मु. भदरा, पो. चिरवारी	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
8. श्री संजय पिता श्री घासीराम गुप्ता, वार्ड नं. 10	(नामनिर्दिष्ट)	व्यापारी प्रतिनिधि
9. श्री प्रमोद कुमार पिता श्री मातादीन यादव, मु. पो. हरपालपुर	(नामनिर्दिष्ट)	तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि
10. श्री रामाधीन पिता श्री गोविन्ददास, ग्राम मबईया, वार्ड नं. 1	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
11. श्रीमती उषा पति श्री रघुनाथ यादव, ग्राम जोरन, वार्ड नं. 2	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
12. श्री मोहनलाल पिता श्री हरप्रसाद करारागंज, वार्ड नं. 2	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो		(पदेन सदस्य)
14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि		(पदेन सदस्य)
15. कृषि विभाग का एक अधिकारी		(पदेन सदस्य)
16. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष		(पदेन सदस्य)
17. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष		(पदेन सदस्य)
18. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य		(पदेन सदस्य)

**कृषि उपज मण्डी समिति, नौगांव :**

1. श्री मणिकांत पिता श्री वीरेन्द्र चौरसिया, निवासी वार्ड नं. 7, मलहरा	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि/अध्यक्ष (नामनिर्दिष्ट)
2. श्री मुन्नीलाल कोरी पिता श्री बलदुआ, ग्राम बुढ़रख, पो. महाराजपुर	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
3. श्री शत्रुघ्न पिता श्री चतुर्भुज पुरोहित, वार्ड नं. 10, टटम	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
4. श्री डालचंद यादव पिता श्री भागीरथ, निवासी झीझन	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
5. श्री जितेन्द्र पिता श्री अवधबिहारी यादव, निवासी वार्ड नं. 4, नौगांव	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
6. श्रीमती रामप्यारी पति श्री हरगोविन्द गंगेले, निवासी वार्ड नं. 6, कुराहा	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
7. श्रीमती रम्मी बाई पति श्री गनेशा अहिरवार, निवासी वार्ड नं. 8, महाराजपुर	(पूर्व निर्वाचित)	कृषक प्रतिनिधि
8. श्री शरद पिता श्री आर. एन. द्विवेदी, निवासी नौगांव	(पूर्व निर्वाचित)	तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि
9. श्री संजय पिता श्री रामगोपाल गुप्ता, निवासी 67/29 एन, नौगांव	(नामनिर्दिष्ट)	व्यापारी प्रतिनिधि
10. श्री प्रदोष सिंह पिता श्री लखनलाल यादव, ग्राम मुखर्त	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
11. श्री चिंरजी लाल निरंजन पिता नाथूराम, मु.पो. गरौली, तह. नौगांव	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
12. श्री राजेन्द्र पिता श्री सुखदेव बिहारी दीक्षित, मु.पो. बिलहरी, तह. नौगांव	(नामनिर्दिष्ट)	कृषक प्रतिनिधि
13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो		(पदेन सदस्य)
14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि		(पदेन सदस्य)
15. कृषि विभाग का एक अधिकारी		(पदेन सदस्य)
16. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष		(पदेन सदस्य)
17. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष		(पदेन सदस्य)
18. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य		(पदेन सदस्य)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. डी-15-35-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2016

No. D-15-35-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Committee-in-charge for Krishi Upaj Mandi Samiti, Harpalpur and Krishi Upaj Mandi Samiti, Noagoan, District Chhatarpur till constitution of the committee through election :—

**Krishi Upaj Mandi Samiti, Harpalpur :**

1. Shri Babulal Gupta S/o Shri Shriramdayal Gupta, Ward No. 3, Chandrapura.	(previously elected)	Chairman/Farmer Representative.
2. Smt. Parwati Devi W/o Late. Shri Veersingh Rajput, Gram Ama, Ward No. 01.	(previously elected)	Farmer Representative
3. Shri Dheeraj Singh S/o Shri Veersingh Bundela, M. Po. Doariya, Ward No. 2.	(previously elected)	Farmer Representative
4. Shri Ishwardas S/o Shri Behari Das Rajput, M. Po. Emaliya.	(Nominated)	Farmer Representative
5. Shri Mahendra Singh S/o Shri Shripat Singh M. Po. Ranipura.	(Nominated)	Farmer Representative
6. Shri Lokendra Singh S/o Shri Veersingh, Lehadara, Po. Galaan.	(Nominated)	Farmer Representative
7. Shri Mohan S/o Shri Pyarelal Ahirwar M. Bhadarra, Po. Chirwari.	(Nominated)	Farmer Representative
8. Shri Sanjay S/o Shri Ghasiram Gupta, Ward No. 10.	(Nominated)	Traders Representative
9. Shri Pramod Kumar S/o Shri Matadeen Yadav, M. Po. Harpalpur.	(Nominated)	Weighman and Hammal Representative.
10. Shri Ramadheen S/o Shri Govinddas Gram Mabaiya, Ward No. 01.	(Nominated)	Farmer Representative
11. Smt. Usha W/o Shri Raghunath Yadav, Gram Joran, Ward No. 2.	(Nominated)	Farmer Representative
12. Shri Mohanlal S/o Shri Harprasad, Kararaganj, Ward No. 2.	(Nominated)	Farmer Representative
13. A Member of Legislative Assembly of M. P. who is elected from the district.		(Ex-officio Member)
14. A representative from Marketing Society		(Ex-officio Member)
15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department.		(Ex-officio Member)
16. Chairman of District Central Co-operative Bank		(Ex-officio Member)
17. Chairman of District Land Development Bank		(Ex-officio Member)
18. A Member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat.		(Ex-officio Member)

**Krishi Upaj Mandi Samiti, Noagoan :**

- |  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| 1. Shri manikant S/o Shri Veerendra Chorasuya,<br>Niwasi Ward No. 7, Malhera.        | (previously elected) | Farmer Representative/<br>Chairman (Nominated). |
| 2. Shri Munnilal Kori S/o Shri Balduya<br>Gram Budhrakh, Po. Maharajpur.             | (previously elected) | Farmer Representative                           |
| 3. Shri Shatrughan S/o Shri Chaturbhuj Purohit,<br>Ward No. 10, Tatam.               | (previously elected) | Farmer Representative                           |
| 4. Shri Dalchand Yadav S/o Shri Bhagirath<br>Niwasi Jhijhan.                         | (previously elected) | Farmer Representative                           |
| 5. Shri Jetendra S/o Shri Awadhbihari Yadav,<br>Niwasi Ward No. 10, Noagoan.         | (previously elected) | Farmer Representative                           |
| 6. Smt. Rampyari W/o Shri Hergovind<br>Gangele Niwasi, Ward No. 06, Kurraha.         | (previously elected) | Farmer Representative                           |
| 7. Smt. Rammi Bai W/o Shri Ganesha Ahirwar,<br>Niwasi Ward No. 08, Maharajpur.       | (previously elected) | Farmer Representative                           |
| 8. Shri Sharad S/o Shri R. N. Diwedi<br>Niwasi Noagoan.                              | (previously elected) | Weighman and Hammal<br>Representative           |
| 9. Shri Sanjay S/o Shri Ramgopal Gupta<br>Niwasi 67/29 N Noagoan.                    | (Nominated)          | Traders Representative                          |
| 10. Shri Pradosh Singh S/o Shri Lakhn Lal Yadav<br>Gram Mukharra.                    | (Nominated)          | Farmer Representative                           |
| 11. Shri Chiranji Lal Niranjani S/o Nathuram<br>M. Po. Garole, Tahasil Noagoan.      | (Nominated)          | Farmer Representative                           |
| 12. Shri Rajendar S/o Shri Sukhdev Bihari Dixit,<br>M. Po. Bilhari, Tahasil Noagoan. | (Nominated)          | Farmer Representative                           |
| 13. A Member of Legislative Assembly of M. P.<br>who is elected from the district.   |                      | (Ex-officio Member)                             |
| 14. A representative from Marketing Society  |                      | (Ex-officio Member)                             |
| 15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture<br>Development Department.        |                      | (Ex-officio Member)                             |
| 16. Chairman of District Central Co-operative Bank                                   |                      | (Ex-officio Member)                             |
| 17. Chairman of District Land Development Bank                                       |                      | (Ex-officio Member)                             |
| 18. A Member from Village Panchayat or Janpad<br>Panchayat or District Panchayat.    |                      | (Ex-officio Member)                             |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.